कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक—1338 / FP/UK/ROAD/ 37559/2018 :देहरादून:दिनांकः 29. नवम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः— जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 16 के अन्तर्गत बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नायलधूरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.275 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में। (प्रस्ताव सं0 37559/2018)

संदर्भः—भारत सरकार की पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/82/2020/एफ0सी0/1560 दिनांक 14.10.2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा का पत्रांक 1345/12—1 दिनांक 10.11.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1392/12—1 (2) दिनांक 18.11.2022 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, (प्रति संलग्न) जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :—

क्र0सं0	अधिरोपित शर्ते	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण—** क) वनविभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण पर 4.550 हे0 अवनत वन भूमि पनुवानौला कं0सं0 53 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एक प्लांटेशन से बचे। ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले 4.550 हे0 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रु0 1534187.00 (पंन्द्रह लाख चौंतीस हजार एक सौ सतासी रुपये मात्र) ऑनलाईन चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की चुकी है। (प्रति संलग्न)। तथा स्वदेशी प्रजातियों के रोपण सम्बन्धि प्रमाण पत्र संलग्न है। सी0ए0 सम्बन्धि प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याषित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्ते मान्य हैं।

5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या-- 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1996 एफसी (PL 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2008 एफसी दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007 एफसी दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.275 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रु0 1534187.00 (पन्द्रह लाख चौंतीस हजार एक सौ सतासी रुपये मात्र) एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 1922375.00 (उन्नीस लाख बाईस हजार तीन सौ पछहत्तर रूपये मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रु0 3456562.00 (चौंतीस लाख छप्पन हजार पाँच सौ बासठ रुपये मात्र) ऑनलाइन चालान के माध्यम से कैम्पा कोश में जमा की चुकी है। (प्रति संलग्न)
	ख) विशेशज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रुप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्तें मान्य हैं।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 602 से अधिक नहीं होगी। एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्तें मान्य हैं।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोश प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्तें मान्य हैं।
8	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्तें मान्य हैं।
9	State Govt will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commeencement of work before stage II Approval as per guidelines para 11.2 This state Govt. will strictly monitor and ensure that no further ctivity is carried out under such permission after the expiry of one year form the date of issue of such permission.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
10	एफआरए, 2005 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्तें मान्य हैं।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्तें मान्य हैं।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरो को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेशतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्तें मान्य हैं।

16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्ते मान्य हैं।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तातंरित नही की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्ल्घंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या'–11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्ते मान्य हैं।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निरस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निरस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निरस्तारण स्थलों की राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निरस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव ई–पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक।

संख्या– 1338 / FP/UK/ROAD/ 37559/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1392/12–1 (2) दिनांक 18.11.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा का पत्रांक 1345/12–1 दिनांक 10.11.2022 के कम में।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक।